



रेफरेंस संख्या -2020/vps/04

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 16 अप्रैल 2020

जनता अपनी समस्या कैसे सरकार को बताये?

क्यूंकि कोरोना वार रूम का हेल्पलाइन नंबर 181 तो हमेशा व्यस्त आता है!!

खुला पत्र

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,

राजस्थान उच्च न्यायालय

माननीय महोदय, जैसा कि विदित है कि:-



- हमारा देश भी विश्व के अन्य देशों की तरह कोरोना महामारी के फैलाव से जूझ रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई कड़े फैसले लिए गए हैं।
- इन कड़े फैसलों से जहाँ देश की अर्थव्यवस्था रुक सी गयी है वहाँ दूसरी और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों, गरीब परिवारों और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के सामने रोजीरोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।
- कई परिवार जो कि रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर दुसरे राज्यों में चले गए थे, भुखमरी और बेरोजगारी के चलते अपने घरों को लौट रहे थे परंतु राज्य सरकारों द्वारा कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर करने से यह लाखों लोग शरणार्थियों की तरह राज्यों, सीमावर्ती जिलों की सीमाओं पर कई हफ्तों से जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं।
- ऐसे ही गाँवों से रोजगार की तलाश में निकटवर्ती शहरों में जाने वाले व्यक्ति भी इन शहरों में शरणार्थियों की जिन्दगी व्यतीत करने को मजबूर हैं।
- अन्य राज्य सरकारों की तरह हमारी राजस्थान सरकार द्वारा भी दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों, गरीब परिवारों और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सूखे एवं गीले दोनों तरह के राशन की व्यवस्था करवाई गयी है।

- परन्तु प्रशासनिक कार्यों में राजनैतिक दखलंदाजी के चलते यह राहत सामग्री जरूरतमंद व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही है, राज्य के विधायक एक दुसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
- राज्य में राहत सामग्री के वितरण के लिए कई सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं वही कई गैर सरकारी संगठन, संस्थाएं भी इस प्रकार का कार्य कर रही हैं। परन्तु इस सब प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा राशन सामग्री के वितरण की कोई एकीकृत एवं पारदर्शी व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। जिससे जहाँ एक और संसाधनों का भेदभाव, दोषपूर्ण तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वहाँ दूसरी और जरूरतमंद व्यक्तियों के भूखों मरने की नौबत आ गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा पूर्व में चल रही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (संपर्क हेल्पलाइन)-181 को कोरोना वाररूम का नम्बर घोषित कर दिया गया है और जनता से जरूरतमंदों के लिए भोजन/राशन संबंधी सहायता हेतु, कालाबाजारी की शिकायत हेतु, व्यावसायिक वाहनों के व्हीकल पास हेतु, कोरोना संबंधित चिकित्सा सहायता हेतु शिकायत करने हेतु इस कोरोना हेल्पलाइन नम्बर 181 का उपयोग करने को कहा जा रहा है, इस प्रयोजन हेतु इस नम्बर का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
- हमारी संस्था द्वारा भी एक जिम्मेदार नागरिक संगठन होने के नाते इस नम्बर का प्रचार प्रसार किया गया, परन्तु जब लोगों द्वारा बताया गया कि यह नम्बर तो लगातार व्यस्त ही आता है इस नम्बर पर बात करना हथेली पर सरसों उगने जैसा है तो हमें यकीं नहीं हुआ, लोगों के इस दावे को परखने के लिए जब स्वयं इस नम्बर 181 पर फोन लगाया गया तो वाकई उस पर वो इस मेसेज आता है कि “यह नम्बर व्यस्त है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें।” महोदय आज इस नम्बर पर बात करने की कोशिश के चलते दो दिन हो गए हैं, मेरे द्वारा मेरे ही नहीं, अन्य नम्बरों से भी फ़ोन लगाने की कोशिश की गयी परन्तु सब व्यर्थ रहा और इस नम्बर पर अभी तक बात नहीं हो सकी है।

महोदय, आपसे निवेदन है कि:-

- व्यापक जन हित को देखते हुए तत्काल 181 नम्बर को सुचारू रूप से चालू करवाने के आदेश पारित किये जाए, जिससे एक ही बार में पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या दर्ज करवा सके।
- इस शिकायतों की थर्ड पार्टी मोनिटरिंग करवाई जाये और बिना जांचे परखे शिकायत बंद करने वाले अधिकारीयों, कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- इस नम्बर से जुड़ी सभी शिकायतों को सार्वजनिक किया जाए ताकि इन शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बनी रहे।
- अन्य कोई पारितोष जो महोदय को उपयुक्त लगे।

धन्यवाद

चीफ एडिटर

jawabdosarkar.com